



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2843]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2019/भाद्र 6, 1941

No. 2843]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2019/BHADRA 6, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

सं. 13/2015-2020

विषय:— आईटीसी (एचएस) 2017-अनुसूची-1 (आयात नीति) के एकजिम कोड 3916 90 32 के अंतर्गत पालिमैथिल मैथैक्रिलेट की आयात नीति में संशोधन

का.आ. 3112(अ): समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के एकजिम कोड 3916 90 32 के तहत पालिमैथिल मैथैक्रिलेट की आयात नीति को निम्नानुसार संशोधित करती है :-

एकजिम कोड	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	संशोधन आयात नीति
3916 90 32	पालिमैथिल मैथैक्रिलेट	मुक्त	निषिद्ध

2 इस अधिसूचना का प्रभाव: आईटीसी (एचएस) 2017-अनुसूची-1 (आयात नीति) के एकजिम कोड 3196 90 32 के अंतर्गत पालिमैथिल मैथैक्रिलेट की आयात नीति को दिनांक 1 सितंबर 2019 से 'मुक्त' से संशोधित कर 'निषिद्ध' किया जाता है।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/89/180/एम-32/एम-03/पीसी-2(क)/खंड IV/पी-10090]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना सं. 36/2015-2020 दिनांक 17 जनवरी, 2017 को भारत के राजपत्र असाधारण में सा.आ. 172 (अ) दिनांक 17 जनवरी, 2017 के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2019

No. 13/2015-2020

Subject: Amendment of import policy of polymethyl methacrylate under Exim code 39169032 of ITC (HS) 2017 – Schedule – 1 (Import Policy).

S.O. 3112(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends of import policy of polymethyl methacrylate under Exim code 3916 90 32 of ITC (HS) 2017 – Schedule – 1 (Import Policy) as under:

Exim code	Item description	Existing import policy	Revised import policy
39169032	Of polymethyl methacrylate	Free	Prohibited

2. Effect of this Notification: Import Policy of polymethyl methacrylate under Exim code 39169032 of ITC (HS) 2017 – Schedule – 1 (Import Policy) is revised from 'Free' to 'Prohibited' **with effect from 1st September, 2019.**

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No. 01/89/180/M-32/AM-03/PC-2(A)/Vol-IV/P-10090]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & ex-officio Secy.

Note: The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extra – ordinary vide number S.O. 172 (E), dated the 17th January, 2017.